© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं की धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 प्रेम चन्द यादव
शोध निर्देशक, एसोसिएट प्रोफेसर
बी0एड्0 विभाग, श्री गाँधी पी0जी0 कालेज,
मालटारी, आजमगढ़,उत्तर प्रदेश।

राजीव सिंह
शोधकर्त्ता, एम0ए0, एम0एड्0, नेट
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

सारांश– प्रस्तुत अध्ययन उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं की धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में स्नातक स्तर के (कला एवं विज्ञान वर्ग) तृतीय वर्ष में अध्ययनरत् समस्त छात्र– छात्राओं को जनसंख्या माना गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु आवश्यक प्रदत्तों को प्राप्त करने के लिए रैन्डम न्यादर्शन विधि द्वारा स्नातक स्तर (कला एवं विज्ञान वर्ग) में अध्ययनरत् तृतीय वर्ष के 200 छात्र–छात्राओं को न्यादर्श के लिए चुना गया है। प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्तों के संग्रहण के लिए दो प्रकार की मापनी का प्रयोग किया है – धर्मनिरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति मापनी – डॉ0 आर0के0 ओझा। प्रस्तुत अध्ययन में संकलित आंकड़ों के विश्लेषण के लिए टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया है। छात्रों की धर्मनिरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति इसलिए तटस्थ रहती है, क्योंकि छात्र छात्राओं की अपेक्षा समाज के बड़े भाग से मुखरित होते हैं और वे छात्राओं की अपेक्षा अन्य धर्मों के लोगों से अधिक सम्पर्क में होते हैं जबकि छात्रायें एक सीमित दायरे में रहती है। जिसके कारण छात्र एवं छात्राओं के सोच में अन्तर होता है। यही कारण है कि उनके धर्म निरपेक्षता में भी अन्तर होता है।

मुख्य शब्द– उच्च शिक्षा, छात्र एवं छात्राएँ, धर्म निरपेक्षता, अभिवृत्ति, तुलना।

प्रस्तावना– भारत की धर्मनिरपेक्षता का रेखांकन करते हुए प्राचीन काल की ओर अभिमुख होने से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही दिखाना है कि आज जो हमारे गर्व का आँसू है उसका पानी अचानक हमारी आँखों में नहीं आ गया। यह मधुर–मधुर सपनों में देखी गयी राह नवेली नहीं है बल्कि यह पानी यह राह हमारी विरासतों से सम्बद्ध है। पुरातनता ही इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि यह जीवन्त मूल्य बन चुका है। यह हमारी जीवन शैली का अंग बन चुका है।

भारत की धर्मनिपेक्षता ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने के बाद नहीं उपजी जैसा कि अन्य तथाकथित महान सभ्यताओं में हुआ, बल्कि विभिन्न मतावलम्बियों के सहस्राब्दियों से एक–दूसरे के साथ–साथ रहते हुए उनके जीवनानुभवों की आपसी रगड़ से उत्पन्न सद्भाव की ज्वाला बनकर हमारे पास आज भी सुरक्षित है जो तमाम भ्रांत धारणाओं के जंगलों के विनाश हेतु 'प्रथीकृत' बनी हुई है।

भारत के लोगों के जीवन में धर्म एक प्राणवायु की तरह व्याप्त ह। यह जन्म से लेकर मरण तक और उसके बाद भी हमारे साथ व्याप्त हैं अदूरदर्शी और नारों की नाव से चुनावों की नदी पार करने वालों की बात

छोड़िये, विश्व के राजनैतिक आकाश का महासूर्य महात्मा गाँधी भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के मध्य जब अवतरित होते हैं तो उस समय बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ आन्दोलन के उद्देश्यों में समाज सुधार और धर्म सुधार का नाम लेने से भी डरता है। गाँधीजी मूल तथ्य को समझने में देर नहीं करते हैं। वे भारतीय समाज की दशा और दिशा को सर्वत्र धर्म से अनुप्राणित देखते हैं और इसी आधार पर इस विश्वास को बनाते है कि इसी धर्म के सदुपयोग से हम समाज की राजनीति को शुचिता के शिखर पर ले जा सकते हैं। उन्होंने यह घोषणा की राजनीति धर्म के बिना प्राणहीन है और प्राणहीन शरीर से कौन–सा कार्य हो सकता है यह सहज ही अनुमन्य हैं।

इसी धर्म चक्र को गाँधी जी ने साधा और वे सबसे सफल हुए। वे धर्म के सारतत्व को समझते थे–

य पृथग्धर्माचरणाः पृथग्धर्म फलैषिणः।
पृथग्धर्मैः समयन्ति तस्मै धर्मात्मने नमः।।

और इसीलिए चाहे धर्म विरोध नेहरू जी रहे हो, चाहे अति धार्मिक महामना पं0 मालवीयजी रहे हो, चाहे मो0 शौकत अली हो सभी ने गाँधी जी को अपना प्रेरणास्रोत माना।

आज भी धर्म की उतनी ही परिव्याप्ति है। आज भी जगत् सीय राम मय है। अल्लाह के नूर से व्याप्त है। पैगम्बर, ईसा की अमृत वाणी से अनुगुंजित है आवश्यकता– जल में कुम्भ और कुम्भ के जल के मध्य के विभाजन को समाप्त करने की है, धर्म सम्बन्धी सभी विवादों का अन्त तुरन्त हो जायेगा।

भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में लम्बे समय से चली आ रही साम्प्रदायिकता की समस्या को हल करने के लिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का प्रयत्न किया है यद्यपि भारतीय संविधान में प्रारम्भ में धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किये बिना भारत में धर्म निरपेक्षता की व्यवस्था की गई थी परन्तु श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर संसद ने 42वें संविधन संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में 'धर्म निरपेक्ष' शब्द जोड़कर भारत को स्पष्ट शब्दों में धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया है।

स्मिथ के शब्दों में, ''धर्म निरपेक्ष राज्य की धारणा भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए बड़ा ही महत्त्व रखती है। यह धारणा आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र के आधारभूत और अविच्छेद तत्त्व के रूप में स्थिर रह सकती है अथवा गिर सकती हैं।

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार, ''धर्म निरपेक्षता का अर्थ गैर–आध्यात्मिक, धर्म अथवा आध्यात्मिक मामलों से कोई सम्बन्ध न होना, कोई वस्तु जो धर्म से भिन्न हो, उसके विरूद्ध अथवा उससे सम्बन्धित न हो अथवा धार्मिक वस्तुओं से सम्बन्धित न हो और आध्यात्मिक तथा धार्मिक वस्तुओं के विपरीत सांसारिक हो।''

ए न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, ''धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म से सम्बन्धों का न होना है।''

श्री आर. वेंकटरमन के शब्दों में, ''एक धार्मिक राज्य न तो, न ही अधार्मिक तथा न ही धर्म–विरोधी होता है। वह धार्मिक सिद्धान्तों तथा कार्यों से पूर्णतया अलग रहता है अतः वह धार्मिक सम्बन्धों में निष्पक्ष रहता है।''

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से तीन बातें स्पष्ट होती है–

1. धर्म निरपेक्ष राज्य प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अर्थात् राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य नहीं करता बल्कि प्रत्येक नागरिक को अन्तःकरण की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है।

2. धर्म निरपेक्ष राज्य धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है और सभी व्यक्तियों को केवल नागरिक के रूप में भी देखता है, किसी धार्मिक समुदाय के सदस्य के रूप में नहीं अर्थात् धर्म निरपेक्ष राज्य समानता पर आधारित होता है।

3. धर्म निरपेक्ष राज्य में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। वह न तो किसी धर्म विशेष से सम्बन्धित होता है न उसमें हस्तक्षेप करता है और न किसी धर्म की उन्नति के लिए कोई सहायता ही देता है। दूसरे शब्दों में 'राज्य किसी धर्म को वैधानिक रूप से मान्यता नहीं देता और धर्म को राजनीति से अलग रखता है।''

डॉ0 राधाकृष्णन ने कहा कि, ''मैं यह अधिकृत रूप से कहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अधर्म नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम सभी धर्मों एवं विश्वासों का सम्मान करते हैं और हमारा राज्य किसी धर्म विशेष से तादात्म्य नहीं स्थापित करता है।''

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपने एक प्रस्ताव में कहा था, ''धर्म निरपेक्षता हमारे देश की अमूल्य विरासत है और यह एक ऐसी नींव है जिस पर साधारण व्यक्ति की भलाई के लिए प्रगतिशील आधुनिक राज्य का निर्माण किया जा सकता है।''

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एवं अवधारण– धर्मनिरपेक्षता अंग्रेजी के 'Secularism' का हिन्दी रूपान्तरण है जिसका अर्थ है– लौकिक, ऐहिक,सांसारिक या बुनियादी। अंग्रेजी का यह शब्द Secual से उत्पन्न हुआ है और इसे अन्य धर्मानुयाईयों के लिए प्रयोग किया गया है जो भौतिक सुविधा सम्पन्न नागरीय जीवन का आनन्द उठाते हैं।

डा0 राधाकृष्णन ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि ''धार्मिक सहिष्णुता एवं तटस्थता का दूसरा नाम धर्म निरपेक्षता वाद भी है।''

भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता– कई वर्षों के गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ एवं इसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण के समय में निम्न शब्द बड़े उत्साह के साथ संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गये।

''हम भारत के लोग भारत में सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गणतंत्र की स्थापना के लिए वचनबद्ध हैं और हम इस देश के नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की व्यवस्था करेंगे। स्तर और अवसर की समानता का प्रबन्ध करेंगें तथा राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हुए उन सब में भ्रातृत्व की भावना का विकास करेंगें।''[2]

18 दिसम्बर 1976 को राष्ट्रपति ने भारतीय संसद द्वारा 42वें संविधान संशोधन[3] पर स्वीकृत देकर भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया।

अनुच्छेद 28 के अनुसार– ''पूर्वतः राज्य वित्त पोषित किसी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में अवयस्क छात्र को बिना अभिभावक के स्वीकृति के बिना धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।''

अनुच्छेद 29 के अनुसार– ''यदि किसी क्षेत्र में सम्प्रदाय अल्पसंख्यक है, तो राज्य द्वारा उस सम्प्रदाय पर कोई भिन्न संस्कृति आरोपित नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद 30 के अनुसार– ''अल्पसंख्यक धार्मिक सम्प्रदायों को अपनी रूचि से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रबन्ध का अधिकार होगा।''

समस्या कथन–

''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं की धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।''

अध्ययन के उद्देश्य

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं

प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ निम्नलिखित है–

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं होता है।
2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं होता है।
3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं होता है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन में स्नातक स्तर के (कला एवं विज्ञान वर्ग) तृतीय वर्ष में अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को जनसंख्या माना गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन हेतु आवश्यक प्रदत्तों को प्राप्त करने के लिए रैन्डम न्यादर्शन विधि द्वारा स्नातक स्तर (कला एवं विज्ञान वर्ग) में अध्ययनरत् तृतीय वर्ष के 200 छात्र–छात्राओं को न्यादर्श के लिए चुना गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्तों के संग्रहण के लिए दो प्रकार की मापनी का प्रयोग किया है –

धर्मनिरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति मापनी – डॉ0 आर0के0 ओझा

प्रयुक्त सांख्यिकीय

प्रस्तुत अध्ययन में संकलित आंकड़ों के विश्लेषण के लिए टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं निर्वचन

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का विश्लेषण एवं निर्वचन

सारणी सं0 1

कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–अनुपात

क्र0 सं0	न्यादर्श	संख्या (N)	मध्यमान (M)	S.D.	दोनों मध्यमानों का अन्तर (M_1-M_2)	t– अनुपात	सार्थकता स्तर (0.05) पर सारणीमान
1.	कला वर्ग के विद्यार्थी	100	152.34	37.16	1.40	0.288	1.97 df=198
2.	विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी	100	153.74	31.31			

निष्कर्ष–

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ सार्थकता स्तर पर स्वीकृत

$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत

सारणी संख्या 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला वर्ग के विद्यार्थियों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 152.34 एवं मानक विचलन 37.16 है तथा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 153.74 एवं मानक विचलन 31.31 है। परिगणित टी–अनुपात का मान 0.288 है। मुक्तांश 198 तथा 0.05 सार्थकता स्तर के लिए द्विपुच्छीय परीक्षण पर टी–अनुपात का सारणी मान 1.97 है अर्थात् परिगणित टी–अनुपात सारणीमान से कम है, अतः कहा जा सकता है कि 0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

प्रस्तुत उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राकल्पित किया गया था कि *''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर होता है।''* जो कि सार्थकता स्तर 0.05 पर अस्वीकृत की जाती है तथा शून्य परिकल्पना *''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर नही होता है।''* स्वीकृत की जाती है तथा परिणामतः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति समान होती है।

2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का विश्लेषण एवं निर्वचन

सारणी सं0 2

कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–अनुपात

क्र0 सं0	न्यादर्श	संख्या (N)	मध्यमान (M)	S.D.	दोनों मध्यमानों का अन्तर (M_1-M_2)	t–अनुपात	सार्थकता स्तर (0.05) पर सारणीमान
1.	कला वर्ग के छात्र	50	152.56	35.57	0.86	0.130	1.98 df=98
2.	विज्ञान वर्ग के छात्र	50	153.42	30.27			

निष्कर्ष–

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ सार्थकता स्तर पर स्वीकृत

$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत

सारणी संख्या 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला वर्ग के छात्रों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 152.56 एवं मानक विचलन 35.57 है तथा विज्ञान वर्ग के छात्रों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 153.42 एवं मानक विचलन 30.27 है। परिगणित टी–अनुपात का मान 0.130 है। मुक्तांश 98 तथा 0.05 सार्थकता स्तर के लिए द्विपुच्छीय परीक्षण पर टी–अनुपात का सारणी मान 1.98 है। अर्थात् परिगणित टी–अनुपात सारणीमान से कम है, अतः कहा जा सकता है कि 0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

प्रस्तुत उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राकल्पित किया गया था कि *''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर होता है।''* जो कि सार्थकता स्तर 0.05 पर अस्वीकृत की जाती है तथा शून्य परिकल्पना *''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर नही होता है।''* स्वीकृत की जाती है तथा परिणामतः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति समान होती है।

3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का विश्लेषण एवं निर्वचन

सारणी सं0 3

कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–अनुपात

क्र0 सं0	न्यादर्श	संख्या (N)	मध्यमान (M)	S.D.	दोनों मध्यमानों का अन्तर (M_1-M_2)	t–अनुपात	सार्थकता स्तर (0.05) पर सारणीमान
1.	कला वर्ग की छात्राएँ	50	152.56	38.68	1.38	0.193	1.98 df=98
2.	विज्ञान वर्ग की छात्राएँ	50	154.06	32.32			

निष्कर्ष–

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ सार्थकता स्तर पर स्वीकृत

$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत

सारणी संख्या 3 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला वर्ग की छात्राओं का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 152.56 एवं मानक विचलन 38.68 है तथा विज्ञान वर्ग की छात्राओं की धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 152.06 एवं मानक विचलन 32.32 है। परिगणित टी–अनुपात का मान 0.193 है। मुक्तांश 98 तथा 0.05 सार्थकता स्तर के लिए द्विपुच्छीय परीक्षण पर टी–अनुपात का सारणी मान 1.98 है। अर्थात् परिगणित टी–अनुपात सारणीमान से कम है, अतः कहा जा सकता है कि 0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

प्रस्तुत उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राकल्पित किया गया था कि *''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर होता है।''* जो कि सार्थकता स्तर 0.05 पर अस्वीकृत की जाती है तथा शून्य परिकल्पना *''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर नही होता है।''* स्वीकृत की जाती है तथा परिणामतः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति समान होती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए–

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति समान होती है।
2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति समान होती है।

3- उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का धर्म निरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति समान होती है।

छात्रों की धर्मनिरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति इसलिए तटस्थ रहती है, क्योंकि छात्र छात्राओं की अपेक्षा समाज के बड़े भाग से मुखरित होते हैं और वे छात्राओं की अपेक्षा अन्य धर्मों के लोगों से अधिक सम्पर्क में होते हैं जबकि छात्रायें एक सीमित दायरे में रहती है। जिसके कारण छात्र एवं छात्राओं के सोच में अन्तर होता है। यही कारण है कि उनके धर्म निरपेक्षता में भी अन्तर होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- कुमार, जितेन्द्र (2017). भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पंथनिरपेक्षता का अनुप्रयोग, *इण्डियन जे. सोशल एण्ड पॉलिटिक्स*, 04(02). पृ0 137–142
- कुमारी, रीमा (2010). माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की धर्मनिरपेक्षता तथा समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण, वी0ब0 सिंह पू0वि0वि0 जौनपुर, अप्रकाशित शोध सं0 1323, पृ0सं0 126
- जायसवाल, निशा (2019). धर्मनिरपेक्षता : भारतीय सन्दर्भ, इण्डियन जर्नल साइंस एण्ड पॉलिटिक्स, 06(01). पृ0 63–66
- तिवारी, एन.पी (2018). सेकुलरिज्म : भारतीय संदर्भ, दार्शनिक त्रैमासिक (यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त शोध पत्रिका). वर्ष 64, अंक–2, अप्रैल–जून 2018, पृ0 1–7
- म0एस0गोरा(1996). उद्धरत विपिन चन्द्र, (2005). आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता एवं समाज का एक अध्ययन द्वितीय संस्करण , नेशनल बुक डिपों नई दिल्ली, पृ0 सं0 113–114
- यादव, संजय (2013). उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।